



कार्यालय प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक,  
उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी।

57-हीरानगर, हल्द्वानी। जनपद-नैनीताल। Email-dsmhaldwani@gmail.com, दूरभाष संख्या 05946-254351

पत्रांक 2534

/ सूचना प्रकाशन / 2022-23

/ दिनांक 28-09-22

सेवा में,

मैसर्स अनुष्का एडवर्टाईजर्स  
नियर साई हास्पिटल, मुखानी-हल्द्वानी  
जनपद-नैनीताल।

विषय:- विज्ञापन प्रकाशन के सम्बन्ध में।  
महोदय,

कृपया निम्न सूचना को डी0ए0वी0पी0 शासकीय दरों पर छूट के साथ 6x8 सेंटीमीटर के कालम में निम्न समाचार पत्रों में प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु दो प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। वन विकास निगम का जी0एस0टी0 नम्बर 05AAALU0009MOZG है।

01.दैनिक जागरण, हल्द्वानी (कुमाऊँ संस्करण) दिनांक 28-09-2022

02.हिन्दुस्तान, हल्द्वानी (कुमाऊँ संस्करण) दिनांक 28-09-2022

भवदीय

  
प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, हल्द्वानी


**कार्यालय प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी।**

**खतरनाक/खड़े वृक्षों के नीलाम के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना**

उत्तराखण्ड वन विकास निगम के समस्त पंजीकृत/अपंजीकृत क्रेताओं को सूचित किया जाता है कि प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम (नैनीताल), से प्राप्त खतरनाक वृक्षों की विभिन्न लोट एवं प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम (पश्चिमी हल्द्वानी) से प्राप्त भारतीय खाद्य निगम, रुद्रपुर, खाद्य संग्रह भण्डार रुद्रपुर के परिसर में खड़े वृक्षों की लोट का सार्वजनिक नीलाम "जहाँ है जैसा है" के आधार पर दिनांक 08.10.2022 को अपराहन 02:30 बजे से लालकुआँ स्थित डिपो संख्या-01 के नीलाम हाल में सम्पन्न किया जायेगा। लोट की विक्रय सूची लालकुआँ डिपो संख्या-01 से प्राप्त की जा सकती है। अपंजीकृत क्रेता धनराशि रुपये 11800.00 गेटमनी जमा कर नीलाम में भाग ले सकते हैं।

विक्रय सूची एवं शर्तें वेबसाइट- uafdc.in पर भी उपलब्ध हैं।

दूरभाष संख्या-हल्द्वानी (05946-254351) 9568003218

  
प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, हल्द्वानी

पत्रांक 2534 / उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01.प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।

02.महाप्रबन्धक (कु0मं0) उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी।


03.क्षेत्रीय प्रबन्धक (कु0क्षे0) उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी।

04.प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, नैनीताल/पश्चिमी हल्द्वानी।

05.समस्त प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।

06.डिपो अधिकारी, लालकुआँ डिपो संख्या-01 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

07.नोटिस बोर्ड।

  
प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, हल्द्वानी।

## उत्तराखण्ड वन विकास निगम

### खडे वृक्षों के सार्वजनिक नीलाम/निविदा हेतु शर्तें

1. खडे वृक्षों के विक्रय हेतु नीलाम/निविदा कार्यवाही "जहाँ है जैसा है" के आधार पर सम्पन्न होगी।
2. नेक जमानत/गेट मनी/प्रवेश शुल्क :-
  - (i) नीलाम/निविदा- नीलाम में भाग लेने हेतु इच्छुक क्रेता द्वारा नेक जमानत/गेटमनी/प्रवेश शुल्क हेतु रुपया 11800.00 (दस हजार रुपये मात्र) (निविदा मूल्य का 2.5% या रुपया 11800.00 जो भी अधिक हो) का बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर/राष्ट्रीय बचत पत्र जो सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक/प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक या प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पदनाम बंधक/निरूपित हो, जमा करना अनिवार्य है। नीलाम हेतु प्रवेश शुल्क नकद भी जमा की जा सकती है। जिसकी मूल धनप्राप्ति रसीद नीलाम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
  - (ii) उच्चतम प्राप्त नीलाम/निविदा सम्बन्धी नेक जमानत/गेटमनी/प्रवेश शुल्क, जो विक्रय मूल्य सम्बन्धी धनराशि देयको के विरुद्ध समायोजित हो सकेगी, को रोककर अन्य क्रेताओं की उक्त धनराशि यथाशीघ्र विलम्बतम 3 (तीन) दिन के अन्दर वापस कर दी जायेगी या क्रेता के लिखित अनुरोध पर अन्य लौट के देयकों के विरुद्ध समायोजित की जा सकेगी।
3. इच्छुक क्रेता द्वारा अपने नाम, पता आदि के प्रमाणन हेतु निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है:-
  - (i) जी0एस0टी0एन0 नम्बर (ii) पैन कार्ड (iii) आधार कार्ड और (iv) राशन कार्ड/वोटर कार्ड/वाहन चालन अनुज्ञा एवं अन्य पहचान पत्र जो पहचान पत्र के रूप में मान्य हो, की स्व सत्यापित छायाप्रति।
4. सम्बन्धित लौट की विक्रय सूची में लौट की स्थिति, वृक्षों का विवरण, कार्य अवधि अंकित है। इच्छुक क्रेता का चाहिए कि नीलाम/निविदा में भाग लेने से पूर्व लौट के वृक्षों का भली-भाँति निरीक्षण कर लें। यदि कोई भिन्नता हो तो क्रेता यथा स्थिति पुष्टि उपरान्त ही नीलाम/निविदा में भाग लें। नीलाम/निविदा स्वीकार होने के पश्चात् लाट की मात्रा-गुणवत्ता के सम्बन्ध में क्रेता का कोई प्रत्यावेदन/क्लेम स्वीकार नहीं किया जायेगा/मान्य नहीं होगा और प्रथम दृष्टया ही अमान्य कर दिया जायेगा।
  - (i) नीलाम में लाट की बोली स्वीकार होने के तुरन्त बाद उसी दिन क्रेता को उस लाट की कीमत का 10 प्रतिशत जमानत वन निगम के अधिकृत कर्मचारी के पास जमा करके रसीद लेनी होगी।
  - (ii) निविदा की दशा में उच्चतम निविदा सूचना प्रेषित किए जाने की तिथि से (सूचना प्रेषित किए जाने की तिथि छोड़कर) 7 (सात दिन) के अन्दर लौट की कीमत का 10 प्रतिशत जमानत करना अनिवार्य है।
  - (iii) यदि क्रेता द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत जमानत नहीं जमा की जाती है तो तत्सम्बन्धी जमा, नेक जमानत/गेटमनी/प्रवेश शुल्क जब्त कर लिया जाएगा और लौट के विक्रय निस्तारण हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।
  - (iv) लौट का कार्य संतोषजनक निर्धारित प्रक्रियानुसार सम्पन्न किए जाने के उपरान्त ही जमा की वापसी/समायोजन होगा।
6. नीलाम/निविदा प्रपत्र में यथानिर्दिष्ट क्रेता को हस्ताक्षर करने होंगे।
7. बिक्री का अनुमोदन वन निगम के समक्ष अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक/डिपो अधिकारी/प्रतिनिधि द्वारा इसकी सूचना क्रेता को पंजीकृत डाक/कोरियर के माध्यम से क्रेता के पते पर भेजी जायेगी। डाक में विलम्ब की जिम्मेदारी वन निगम की नहीं होगी।
8. नीलाम/निविदा की तिथि से 30 (तीस दिन) के अन्दर (नीलाम/निविदा की तिथि छोड़कर) यदि लाट का अनुमोदन क्रेता को सूचित नहीं किया जाता है तो क्रेता लाट क्रय करने के बाध्य नहीं होगा एवं जमा जमानत की वापसी/समायोजन हेतु क्रेता स्वतंत्र होगा।

9. क्रेता को लाट का सम्पूर्ण विक्रय मूल्य, व्यापार कर, आयकर, मण्डी शुल्क (शासन द्वारा निर्धारित दरों पर) आदि देयक अनुमोदन सूचना जारी होने के (जारी तिथि छोड़कर) 20 दिन के भीतर जमा करना होगा। विशेष विक्रय मूल्य पर 0.25 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क के साथ अधिकतम 10 (दस दिन) दिनों की मियाद वृद्धि अनुमन्य होगी। मियाद वृद्धि, समुचित कारणों का उल्लेख करते हुये प्रभागीय प्रबन्धक द्वारा दी जा सकेगी। यदि मियाद वृद्धि की अवधि में भी समस्त देयक जमा नहीं किया जाता है तो लाट की बिक्री स्वतः निरस्त हो जायेगी और क्रेता की जमानत जब्त हो जायेगी और लौट का निस्तारण करने हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।
10. लौट का विक्रय मूल्य, व्यापार कर, आयकर, मण्डी शुल्क, स्टाम्प शुल्क आदि देयक सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के पक्ष में बने ड्राफ्ट/पे-आर्डर RTGS/NEFT/E-Payment द्वारा ही स्वीकार होगा। सीमान्त समायोजन हेतु अधिकतम रू0 3000/- नगद जमा हो सकते हैं।
11. समस्त देयकों की अदायगी हो जाने पर कार्यदेश सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक द्वारा जारी किया जायेगा जो दस्ती/डाक द्वारा भेजा जाएगा। कार्यदेश जारी होने की तिथि के 10 दिन के अन्दर (जारी भेजने की तिथि छोड़कर) क्रेता को लौट में कार्य आरम्भ करना होगा। सूचित आरम्भ करने से 03 दिन पूर्व उसे वन निगम के सम्बन्धित अधिकारी (जिसका उल्लेख कार्यदेश में होगा) को लिखित रूप से सूचित करना होगा तथा वन निगम के प्रतिनिधि की उपस्थिति में कार्य आरम्भ करना होगा।
12. लौट में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व क्रेता को रू0 100/- के स्टाम्प पेपर में सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक के साथ अनुबन्ध करना होगा। नीलाम/निविदा शर्तें भी अनुबन्ध का भाग होंगी।
13. यदि क्रेता कार्यदेश निर्गत होने के 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्य आरम्भ नहीं करता है तो लौट के विरुद्ध जमा विक्रय मूल्य आदि समस्त धनराशि सहित स्वतः जब्त हो जायेगी तथा लौट का निस्तारण करने हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।
14. क्रेता केवल चिन्हित वृक्षों का ही पातन/कटान करेगा। यदि किसी वृक्ष के विषय में सन्देह हो तो क्रेता उसके निराकरण हेतु वन निगम के सम्बन्धित इकाई अधिकारी को लिखित आवेदन करेगा। निराकरण होने के पश्चात् ही ऐसे वृक्ष का पातन/कटान करेगा। यदि क्रेता चिन्हित वृक्ष के अतिरिक्त किसी अन्य वृक्ष का पातन/कटान करेगा तो उसे इसके लिए निर्धारित अर्थ दण्ड देना होगा। यदि लौट में कार्य के समय किसी भी समय यह ज्ञात होगा कि क्रेता द्वारा कहीं भी अवैध पातन/कटान किया है तो लौट की बिक्री तत्काल निरस्त कर दी जायेगी और क्रेता द्वारा हेतु समस्त जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी। चिन्हित समस्त छोटे वृक्षों एवं कटे हुये प्रकाष्ठ/जलौनी पर वन निगम का स्वामित्व हो जायेगा। इसके अतिरिक्त वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाई जायेगी।
15. लौट के क्रेता को वृक्षों का पातन/कटान, आवश्यकतानुसार लापिंग आदि करने इस से करना होगा ताकि लौट के समीपस्थ बिजली लाइन, टेलीफोन लाइन या भवनो आदि को क्षति न हो। लौट में काटे जा रहे वृक्षों से मार्ग पर चलने वाले वाहनो एवं राहगीरो आदि की सुरक्षा हेतु (आवश्यकतानुसार) लाल झण्डी का प्रयोग क्रेता को करना होगा। यदि लौट में वृक्षों के कटान से किसी व्यक्ति अथवा किसी सम्पत्ति की कोई क्षति होगी तो इसकी प्रतिपूर्ति क्रेता को करनी होगी।
16. क्रेता द्वारा नियमानुसार सुसंगत नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुये लौट में कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा।
17. क्रेता को लौट से माल निकासी वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन निगम के निर्धारित के अन्तर्गत वन निगम के निर्धारित प्रपत्र 4.5 में वन निगम के अधिकृत कर्मचारी द्वारा दी जायेगी। निकासी रवन्ना पर क्रेता अथवा क्रेता के अधिकृत एवं वाहन चालक को हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। निकासी नियमानुसार सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच दी जायेगी। निकासी के समय नियमानुसार अभिवहन शुल्क भी क्रेता को देना होगा, निकासी हेतु लौट स्थल को ही ट्रांजिट डिपो माना जायेगा।

18. विक्रय सूची/कार्यादेश में अंकित समय सीमा-निर्धारित कार्य अवधि के अन्तर्गत क्रेता को लौट (जॉब) के सभी चिन्हित वृक्षों का पातन/कटान एवं उत्पादित प्रकाष्ठ जलौनी आदि की निकासी करनी होगी। निकासी से पूर्व प्रकाष्ठ के बोटों पर वन निगम अपने स्वामित्व का घन चिन्ह लगायेगा। यदि क्रेता निर्धारित समय के अन्दर पातन/कटान व उत्पादित हुये प्रकाष्ठ/जलौनी की निकासी नहीं करेगा तो क्रेता के लिखित आवेदन पर उसे 15 दिनों का अतिरिक्त समय अनुमन्य हो सकता है, जिसके लिये क्रेता को लौट के कुल विक्रय मूल्य का 0.10 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अवधि विस्तार शुल्क देना होगा। यदि इन अतिरिक्त 15 दिनों में भी क्रेता लौट का कार्य पूर्ण नहीं करता है तो छपे वृक्षों एवं उत्पादित समस्त प्रकाष्ठ/जलौनी पर वन निगम का स्वामित्व हो जायेगा जिसका निस्तारण करने हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।
19. लौट की कार्यसमाप्ति के बाद क्रेता द्वारा इसकी लिखित सूचना सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक को दी जायेगी। तदुपरान्त नियमानुसार कार्य सम्पन्न होने की दशा में क्रेता द्वारा वन संरक्षण अधिनियम सहित सम्बन्धित सुसंगत नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
20. क्रेता पर किसी भी प्रकार की बकाया वसूली क्रेता से भू-राजस्व के रूप में की जा सकती है।
21. लौट का कार्य निर्धारित प्रक्रियानुसार एवं संतोषजनक सम्पन्न होने के उपरान्त जमा जमानत वापस/समायोजित की जायेगी।
22. क्रेता एवं प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक के मध्य विवाद उत्पन्न होने पर सम्बन्धित "क्षेत्रीय प्रबन्धक (कु0क्ष0) उत्तराखण्ड वन विकास निगम" पंच निर्णायक होंगे और उनका निर्णय अन्तिम होगा जो दोनों पक्षों का मान्य होगा।


प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक  
प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक  
उत्तराखण्ड वन विकास निगम  
(बस्ती)

प्रभागीय लौंगिंग प्रबन्धक, नैनीताल के अन्तर्गत स्वतन्त्रनाक वृक्षों के सार्वजनिक नीलाम दिनांक 08.10.2022 की विक्रय सूची

क्रम सं०	लौट संख्या	राजि	क्षेत्र	प्रजाति	किस्म	व्यास बर्ग	वृक्षों की संख्या
01	02	03	04	05	06	07	08
01	14/2021-22	रानीखेत	विकास खण्ड कार्यालय ताड़ीखेत व पथुली	चीड़	हरा योग्य	50-60	1
						60-70	2
						70-80	2
		योग-			5		
02	29/2021-22	भवाली	कक्ष सं०- 21 तिरछाखेत	चीड़	हरा अयोग्य	50-60	1
					हरा योग्य	60-70	1
					हरा योग्य	70-80	3
					हरा योग्य	80-90	1
		योग-			6		
03	37/2021-22	भवाली		चीड़	हरा अयोग्य	40-50	1
						50-60	1
						70-80	1
		योग-			3		
04	50/2021-22	उत्तरी गौला	राजि कार्यालय नथुवाखान परिसर	यूकेलिप्टस	हरा अयोग्य	90-over	3
				चीड़	हरा योग्य	40-50	1
		योग-			4		
05	54/2021-22	भवाली	भवाली वार्ड नं०- 6 व 7	चीड़	हरा योग्य	40-50	3
						50-60	5
						60-70	1
							9
				सुई	हरा अयोग्य	20-30	1
						30-40	2
						40-50	1
					4		
काफल	हरा अयोग्य	40-50	1				
कुल योग-			14				
06	55/2021-22	भवाली	चासा बीट भवाली कक्ष सं०-02	चीड़	हरा योग्य	50-60	3
						60-70	1
		योग-			4		
07	56/2021-22	भवाली	श्यामखेत कक्ष नं०-01	चीड़	हरा अयोग्य	20-30	1
						30-40	1
						40-50	1
				हरा योग्य	50-60	2	
							5
		बाज	हरा अयोग्य	30-40	1		
कुल योग-			6				
08	57/2021-22	भवाली	भवाली कक्ष सं०-20 तथा निगलाट कक्ष सं०-01	चीड़	हरा अयोग्य	30-40	2
					हरा योग्य	50-60	1
						60-70	1
		योग-			4		
09	08/2022-23	उत्तरी गौला	श्री विद्यवनाथ आनन्द ग्राम-शाखनी, धारी	चीड़	हरा अयोग्य	30-40	4
							योग-



10	22/2022-23	रानीखेत	गोपाल सिंह रावत, गनियाघोली कक्ष-01	मोरपंखी	हरा योग्य	60-70	1				
		योग-						1			
11	23/2022-23	रानीखेत	राजि परिसर बेतालघाट	यूकेलिप्टस	हरा अयोग्य	40-50	1				
					हरा योग्य	50-60	8				
						60-70	4				
						60-70	1				
					हरा अयोग्य	60-70	1				
											15
				सिल्वर ओक	हरा योग्य	20-30	4				
					हरा अयोग्य	20-30	5				
											9
				बकैन	हरा अयोग्य	20-30	1				
						30-40	4				
						40-50	2				
							7				
गोल्डमोहर	हरा अयोग्य	20-30	1								
सुबबूल	हरा अयोग्य	30-40	1								
शीशम	हरा अयोग्य	60-70	1								
कुल योग-							23				
12	24/2022-23	रानीखेत	गोविन्द सिंह महारा, राजकीय चिकित्सालय परिसर रानीखेत	चीड़	हरा अयोग्य	30-40	1				
					हरा योग्य	40-50	1				
					हरा योग्य	50-60	4				
					हरा अयोग्य	50-60	2				
					हरा अयोग्य	60-70	1				
योग-							9				
13	27/2022-23	रानीखेत	रानीखेत-खैरना मोटर मार्ग पर स्थान बजोल बजार	सिल्वर ओक	सूखा अयोग्य	40-50	2				
						50-60	1				
						60-70	1				
योग-							4				
14	28/2022-23	रानीखेत	श्री रमेश चन्द्र, तोक-बिलेडिया ग्राम-पाण्डेकोटा गनियाघोली कक्ष-06	चीड़	हरा योग्य	40-50	3				
					हरा अयोग्य	50-60	1				
योग-							4				
15	54/2022-23	रानीखेत	प्र० वनाधिकारी, भूमि संरक्षण, पढोली कक्ष संख्या-01	चीड़	हरा योग्य	50-60	1				
						60-70	1				
योग-							2				
16	55/2022-23	रानीखेत	श्री धन सिंह बिष्ट, ग्राम-खनिया, पढोली कक्ष संख्या-01	चीड़	हरा योग्य	50-60	4				
						60-70	1				
योग-							5				
17	56/2022-23	रानीखेत	श्री कुन्दन सिंह बिष्ट, ग्राम-खनिया, पढोली कक्ष संख्या-01	देवदार	हरा योग्य	30-40	1				
						70-80	1				
योग-							2				
18	58/2022-23	रानीखेत	श्रीमती हीरा देवी ग्राम तौड़ा सिविल भूमि	तुल	हरा योग्य	90-over	1				
						योग-					
19	59/2022-23	रानीखेत	गनियाघोली कक्ष-01	चीड़	हरा योग्य	70-80	1				
						योग-					
महायोग-							102				

  
 प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक  
 उत्तराखण्ड वन विकास निगम  
 इल्हासी

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, पश्चिमी हल्द्वानी से प्राप्त भारतीय खाद्य निगम, खाद्य भंडार रुद्रपुर ऊधमसिंह नगर के परिसर में स्थित खड़े वृक्षों के सार्वजनिक नीलाम दिनांक 08.10.2022 की विक्रय सूची

क्रम सं०	संस्था का नाम	वृक्ष की प्रजाति	वृक्षों की संख्या
1	भारतीय खाद्य निगम, खाद्य भंडार रुद्रपुर ऊधमसिंह नगर	सेमल	11 नग
2		यूकेलिप्टस	30 नग
3		पेपर मलबरी	04 नग
4		जामुन हरा	03 नग
5		शीशम हरा	01 नग
6		आम हरा	02 नग
7		अमलताश सूखा	01 नग
8		अशोक हरा	04 नग
		<b>योग</b>	<b>55 नग</b>

प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक,  
उत्तराखण्ड वन्यविकास निगम  
हल्द्वानी